सुगम्य भारत अभियान

विभाग ने सुगम्य भारत अभियान (एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेइन) को सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में संकल्पित किया है ताकि दिव्यांगजनों को समान अवसर के लिए सुगम्यता प्राप्त करने तथा स्वतंत्र रूप से जीने और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। अभियान का लक्ष्य निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली तथा सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता को बढ़ाना है।

2. भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का एक हस्ताक्षरकर्ता है। यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 9 सभी हस्ताक्षरकर्ता सरकारों पर यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने का दायित्व डालता है कि दिव्यांगजनों को दूसरे व्यक्तियों की तरह समान रूप से, भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार तक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों तथा प्रणालियों सहित अन्य सुविधाएं तथा सेवाएं जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के जनता के लिए खुली हैं या उन्हें प्रदान की जाती है, तक पहुंच प्राप्त हो। ये उपाय, जिसमें सुगम्यता के लिए अड़चनों और बाधाओं की पहचान और उनका उन्मूलन शामिल होगा, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर लागू होंगे:

क) भवनों, सड़कों, परिवहन और अन्य इनडोर एवं आउटडोर सुविधाएं, जिनमें स्कूल, आवास, चिकित्सा सुविधाएं और कार्यस्थल शामिल हैं;
ख) इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं और आपातकालीन सेवाओं सहित सूचना, संचार और अन्य सेवाएं।

3. कन्वेंशन सभी सरकारों को भी निम्नलिखित हेतु उचित उपाय करने के लिए अधिदेशितत करता है:

क) जनता के लिए खुली या प्रदान की गई सुविधाओं और सेवाओं की सुगम्यता के लिए न्यूनतम मानकों और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का विकास, प्रचार और निगरानी करना;
ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी संस्थाएं जो सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती हैं जो जनता के लिए खुली हैं या उन्हें प्रदान की जाती हैं, उनमें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता हैं;
ग) दिव्यांगजनों के सामने आने वाले सुगम्यता संबंधी मुद्दों पर हितधारकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;
घ) जनता के लिए खुले भवनों और अन्य सुविधाओं में ब्रेल में साइनेज प्रदान करना और वे साइनेज आसानी से पढ़ने एवं समझने के रूप में हो;
ङ) जनता के लिए खुले भवनों और अन्य सुविधाओं तक सुगम्यता में सहायता के लिए दिशानिर्देश, पाठक (रीडर्स) और पेशेवर सांकेतिक भाषा दुभाषियों सहित लाइव सहायता और मध्यस्थों के रूप प्रदान करना;
च) दिव्यांगजनों के लिए सहायता और मदद के अन्य उपयुक्त प्रकार को बढ़ावा देना ताकि सूचना तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
छ) दिव्यांगजनों के लिए इंटरनेट सहित नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों तक सुगम्यता को बढ़ावा देना;

4. कोरिया गणराज्य सरकार द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय अंतर सरकारी बैठक में सरकारों ने एशिया और प्रशांत में दिव्यांगों के लिए "अधिकार को वास्तविक बनाने" के लिए मंत्रिस्तरीय घोषणा और इंचियोन रणनीति अपनाई गई । इंचियोन रणनीति एशियाई और प्रशांत क्षेत्र तथा विश्व को क्षेत्रीय रूप से सहमत विशिष्ट-समावेशी विकास लक्ष्यों का पहला सेट प्रदान करती है। इस रणनीति में 10 उद्देश्य, 27 लक्ष्य और 62 संकेतक शामिल हैं, जो यूएनसीआरपीडी पर आधारित हैं। इंचियोन रणनीति के उद्देश्य संख्या 3 में उल्लेख किया गया है कि भौतिक वातावरण, सार्वजनिक परिवहन, ज्ञान, सूचना और संचार तक सुगम्यता दिव्यांगजनों के लिए एक समावेशी समाज में अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए एक पूर्व शर्त है। सार्वभौमिक डिजाइन के आधार पर शहरी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की

सुगम्यता न केवल दिव्यांगजनों के लिए, बल्कि समाज के अन्य सभी सदस्यों के लिए भी सुरक्षा और उपयोग में आसानी को बढ़ाती है।

5. यूएनसीआरपीडी द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय अधिदेश और इंचियोन रणनीति द्वारा विस्तृत कार्रवाई बिंदुओं के आधार पर, निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र में सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए सुगम्य भारत अभियान की रूपरेखा तैयार की गई थी। अभियान अब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को साकार करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें धारा 40 के तहत सरकार को उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए सुगम्यता के मानकों को निर्धारित करने का अधिकार देता है । अधिनियम की धारा 41 और 42, क्रमशः परिवहन एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सुगम्यता प्रदान करती है। धारा 43 दिव्यांगजनों के लिए सामान्य उपयोग हेतु सार्वभौमिक रूप से डिज़ाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों और सहायक उपकरणों के विकास, उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देने के उपायों का प्रावधान करती है। धारा 44 भवनों में सुगम्यता मानदंडों का अनिवार्य पालन निर्धारित करती है। धारा 45 मौजूदा बुनियादी ढांचे और परिसर को सुगम्य बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है और धारा 46 सेवा प्रदाताओं द्वारा सुगम्यता के लिए समय सीमा निर्धारित करती है।

6. निर्मित वातावरण सुगम्यता

क) एक सुगम्य भौतिक वातावरण केवल दिव्यांगजनों को ही नहीं, बल्कि सभी को लाभान्वित करता है। स्कूलों, चिकित्सा सुविधाओं और कार्यस्थलों सहित इनडोर और आउटडोर सुविधाओं से संबंधित अड़चनों और बाधाओं को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। इनमें न केवल भवन शामिल होंगे, बल्कि फुटपाथ, कर्ब कट और पैदल चलने वालों के रास्ते में उत्पन्न हाने वाली बाधाएं भी शामिल होंगी। चूंकि भवनों की सुगम्यता शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे परीनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।

ख) सुगम्य सरकारी भवन वह होता है, जहां दिव्यांग व्यक्ति को प्रवेश करने और उसमें सभी सुविधाओं का उपयोग करने में कोई बाधा न हो। इसमें निर्मित वातावरण - सेवाएं, स्टेप्स और रैंप, गलियारे, प्रवेश द्वार, आपातकालीन निकास, पार्किंग - के साथ-साथ प्रकाश, संकेत, अलार्म सिस्टम और शौचालय सहित इनडोर और आउटडोर सुविधाएं शामिल हैं।

ग) सुगम्य भवनों की पहचान करने के लिए सुगम्यता ऑडिट की आवश्यकता होती है जो यह निश्चित करता है कि क्या कोई भवन मानकों की अपेक्षाएं पूरी करता है, और उसमें निहित ढांचे अथवा प्रणालियों में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव करे, ताकि यह सार्वभौमिक रूप से सुगम्य प्रतीत हो। पैनलबद्ध सुगम्य लेखा परीक्षकों के माध्यम से सुगम्य ऑडिट करने के लिए विभाग के आदेश के संदर्भ में सुगम्य ऑडिट हेतु लागत मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए तैयार किया जा सकता है।

घ) सुगम्यता के मानक, जहां तक संभव हो स्थानीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आईएसओ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने चाहिए। दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तहत, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के लिए सुसंगत दिशा-निर्देश और स्थान मानकों को सार्वजनिक केंद्रिक भवनों के लिए सुगम्य मानक के रूप में अधिसूचित किया है और नए भवन विकसित करने और मौजूदा भवनों में रेट्रोफिटिंग करते समय इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. परिवहन प्रणाली सुगम्यता

क) स्वतंत्र जीवन के लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण घटक है, और समाज में अन्य लोगों की तरह, दिव्यांगजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए परिवहन सुविधाओं पर निर्भर हैं। परिवहन शब्द

में हवाई यात्रा, बसों और ट्रेनों सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है, इसलिए हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन में सुगम्यता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

ख) परिवहन प्रणालियों में सुगम्यता में निर्मित वातावरण शामिल है जिसमें सतह (सरफेस), स्टेप्स और रैंप, कोरीडोर, प्रवेश द्वार, आपात निकासी, पार्किंग सहित सभी इनडोर और आउटडोर सुविधाएं जैसे लाइटिंग, साइनेज, अलार्म सिस्टम और शौचालय सहित कैरियर और संबंधित सिस्टम जैसे टिकट बुकिंग, सूचना पोर्टल और वेबसाइट इत्यादि सुविधाएं है। इसमें सेवा-क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं भी शामिल हैं, जैसे हवाई मार्ग में एयरोब्रिज/एम्बू-लिफ्ट, रेल मार्ग में सुगम्य कोच, सड़के मार्ग में चौड़े दरवाजों वाली लो फ्लोर बसें इत्यादि।

ग) दिव्यांगजनों को बाधा मुक्त यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए भवनों के समान, परिवहन क्षेत्रों के लिए भी सुगम्यता के मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए। दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तहत, बस बॉडी डिज़ाइन अनुमोदन के लिए कार्यप्रणाली की आचार संहिता को सार्वजनिक परिवहन वाहकों(बसों) के लिए सुगम्यता मानक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

8. सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र में

क) सूचना तक पहुंच समाज में सभी के लिए अवसर सृजित करती है। आम जनता अपने दैनिक जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए कई रूपों में सूचना का प्रयोग करते हैं, जिसमें मूल्य टैग को पढ़ने से लेकर हॉल में वास्तविक रूप से प्रवेश करने, किसी कार्यक्रम में भाग लेने, पैम्फलेट पढ़ने, रेल की समय सारिणी को समझने अथवा वैब पृष्ठों को देखने तक शामिल हैं।

ख) यह अभियान सुगम्य और प्रयोग योग्य सार्वजनिक दस्तावेजों तथा वेबसाइटों के अनुपात को बढ़ाने, सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पूल और सार्वजनिक दूरदर्शन समाचार कार्यक्रमों की दैनिक कैपशनिंग और सांकेतिक-भाषा इंटरप्रिटेशन के अनुपात को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। विभाग सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए सरकारी वेबसाईटों के सुगम्यता ऑडिट के संबंध में एनआईसी से मदद लेगा।

ग) दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तहत, सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों को सुगम्यता मानक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

9. सुगम्यता के मानक -

क) सुगम्यता प्रत्येक के लिए समान पहुँच प्रदान करने के बारे में है। समुदाय में मौजूदा सुविधाओं और सेवाओं तक पहुँच बनाने में समर्थ हुए होने तक, दिव्यांगजन कभी भी पूर्णत: शामिल नहीं हो सकेंगे। सुगम्य भारत अभियान "सुगम्य पुलिस स्टेशनों", "सुगम्य अस्पतालों", "सुगम्य पर्यटन" और "सुगम्य डिजिटल इंडिया" आदि की मांग के लिए सभी केंद्रीय सरकार के विभागों / मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोग की मांग करेगा।

ख) तथापि, सभी सार्वजनिक केंद्रिक आधारभूत संरचना और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्र-विशिष्ट सुगम्यता मानकों की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के लिए, आवास और शहरी कार्य, नागर विमानन, रोडवेज, रेलवे, स्कूल और उच्चतर शिक्षा, संस्कृति, न्याय, पर्यटन, एमएचए, बैंकिंग, एमईआईटीवाई, उपभोक्ता मामलों, खेल सहित संबंधित मंत्रालयों / विभागों के माध्यम से सुगम्यता के क्षेत्र विशिष्ट मानक / दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। ये मानक मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय के परामर्श से बनाए जाएंगे।

ग) दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तहत उपर्युक्त दिशानिर्देशों की अधिसूचना 31 दिसंबर, 2021 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। दिशानिर्देशों/मानकों की अधिसूचना दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तहत अधिसूचित हो जाने पर संबंधित मानकों का अनुपालन अनिवार्य हो जाएगा।

10. समय-समय पर विभाग द्वारा आकलन किए गए आवश्यकताओं के अनुसार एआईसी के अंतर्गत निधियों का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है :

i) योजना के तहत डेटा के प्रोसेसिंग/संकलन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना।

ii) एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना और संचालन करने के लिए जिसके तहत तकनीकी विशेषज्ञों को योजना के तहत प्रगति की निगरानी करने, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्र सरकार के विभागों के साथ समन्वय करने, भौतिक सत्यापन और भवनों, सार्वजनिक स्थानों, वेबसाइटों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन आदि की सुगम्य लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किया जाएगा।

iii) सुगम्यता लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

iv) सचिवीय (सेक्रेटेरियल) कार्य के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति

v) अनुसंधान और मूल्यांकन से संबंधित कार्य

vi) वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए एजेंसी की व्यवस्था करना।

vii) अभियान से संबंधित कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/कार्यक्रमों आदि का आयोजन

viii) तकनीकी/वित्तीय सहायता/निगरानी के लिए राज्यों/मंत्रालयों/विभागों से अचानक से अपेक्षित होने पर अनुरोध किए जाने पर 3 वर्टिकल में बनाने/रेट्रोफिट कार्य के लिए आकस्मिक निधि।

11. अंतिम अवधि क्लॉज (सनसेट क्लॉज) - अभियान के लिए अंतिम तारीख मार्च, 2024 निर्धारित की गई है जिसके बाद एआईसी को सिपडा के तहत बाधा मुक्त वातावरण घटक के साथ विलय कर दिया जाएगा। विभाग ने अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ मानकों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार कार्य योजना तैयार की है –

	अधिमान्य अंतिम तिथि (मामला-दर-मामला आधार पर धारा 45 **और** 46 **के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम**, 2016 **के प्रावधानों के संबंध में)**	**की जाने वाली कार्रवाई**
क.	31 दिसंबर 2021	• निधि की पहली किस्त जारी करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि • अंतिम रूप दिए गए क्षेत्र विशिष्ट दिशानिर्देशों/मानकों को अधिसूचित करना

ख.	30 जून 2022	एआईसी के तहत सभी वित्त पोषित भवनों में रेट्रोफिटिंग का कार्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूरा किया जाएगा
ग.	31 मार्च 2023	प्रतिपूर्ति मोड में एआईसी के तहत किए गए और पूर्ण किए गए कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई शेष राशि को बंद करना
घ.	31 दिसंबर 2023	नए अधिसूचित सुगम्यता दिशा-निर्देशों/मानकों के कार्यान्वयन को पूरा करना
ड.	31 मार्च 2024	अभियान का अंतिम समापन और सिपडा के तहत बाधा मुक्त वातावरण घटक के साथ विलय

12. सुगम्य भारत ऐप - जन-भागीदारी सिद्धांतों पर सुगम्य भारत अभियान को व्यापक आधार देने के लिए, सुगम्य भारत ऐप, जो एक क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन है, को इन तीन स्तंभों (वर्टिकल) में सुगम्यता के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने और उसे बढ़ाने के लिए, 2 मार्च, 2021 को लॉन्च किया गया था। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भारत में कभी भी और कहीं से भी जनता द्वारा परिवहन क्षेत्र सहित निर्मित वातावरण के तहत सुगम्यता से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। सुगम्य भारत ऐप का प्रबंधन और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पीएमयू टीम का गठन किया गया है। सुगम्य भारत ऐप परियोजना को भी बाद में सिपडा योजना के तहत बाधा मुक्त वातावरण घटक के तहत विलय कर दिया जाएगा। क्राउडसोर्सिंग ऐप का उपयोग सरकारी और निजी, दोनों सार्वजनिक केंद्रिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में असुगम्यता के संबंध में आम जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों को एकत्र करने के उद्देश्य से जारी रहेगा।

13. सुगम्य भारत अभियान के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) - इसके अतिरिक्त, एआईसी के तहत मौजूदा एमआईएस पोर्टल को भी विस्तार किया जा रहा है और एआईसी लक्ष्य में जो मंत्रालय/विभाग है उनके अलावा सभी मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया जाएगा। मौजूदा एमआईएस पोर्टल को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सुगम्यता के कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग 5 सदस्यों की एक पीएमयू टीम का गठन करेगा, जिसमें कार्यात्मक भूमिकाओं के लिए 1 टीम लीडर, 1 तकनीकी विकासकर्ता और 3 परामर्शदाता शामिल होंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के बाद सिपडा योजना के तहत बाधा मुक्त वातावरण घटक के तहत विलय कर दिया जाएगा, लेकिन विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे सुगम्यता के कार्यों के संबंध में डेटा के भंडार (रिपोसिटरी) के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए पोर्टल निरंतर कार्य करता रहेगा । यह भारत सरकार के लिए एक इन्वेंटरी के रूप में काम करेगा, जो दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाए गए सभी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगा।

14. सुगम्य भारत अभियान के तहत निधियां जारी करने की प्रक्रिया

सुगम्य भारत अभियान के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाता है:

क. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें लागत अनुमान तैयार करती हैं जो सुगम्य ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार तैयार किए जाते हैं और इसे विभाग को माप के विवरण, दरों के विवरण और निर्धारित प्रारूप में माप सहित सभी तरह से पूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हैं।

ख. बाधा मुक्त और सुगम्य भारत घटक के तहत सहायता अनुदान जारी करने के प्रस्तावों की जांच विभाग की एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जाएगी जिसमें संयुक्त सचिव (सिपडा), निदेशक/उप सचिव (सिपडा) और विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले दिव्यांगता क्षेत्र के दो विशेषज्ञ शामिल होंगे।

ग. कार्यान्वयन एजेंसी को संविदा/वित्तीय लेनदेन के मामलों में सामान्य वित्तीय नियम, 2017/कोडल प्रक्रिया/सीवीसी दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

घ. कार्यान्वयन एजेंसी विभाग या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/राष्ट्रीय संस्थानों आदि द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी/तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

ङ. **सहायता अनुदान 2 भागों में जारी किया जाएगा - पहली और दूसरी किस्त आम तौर पर 75: 25 अनुपात में होना चाहिए।** जब भारत सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि सहायता अनुदान का उपयोग अनुमोदित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है, तो राशि को कार्यान्वयन एजेंसी से दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और एजेंसी को आगे कोई सहायता नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ऐसे संगठनों को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने और कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

च. जीआईए एक बचत खाते में दिया जाएगा, न कि किसी अन्य खाते में जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। तथापि, जीआईए पर ब्याज का पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है और इसे वापस किया जा सकता है। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराए गए यूसी (मौजूदा जीएफआर नियमों के अनुसार प्रारूप) में भी परिलक्षित किया जा सकता है। कार्यान्वयन एजेंसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह माहों के भीतर परियोजना पूर्णता रिपोर्ट के साथ पूरे अनुदान के लिए अंतिम उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। अप्रयुक्त सहायता-अनुदान, यदि कोई हो, मंत्रालय को वापस किया जाना है। यदि कार्य/परियोजना निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं की जाती है और उसे पूरा करने के लिए और समय मांगा जाता है, तो संबंधित संगठन को इसके बारे में मंत्रालय को सूचित करना होगा और विलंब का कारण भी बताना होगा। यदि परियोजना समय-सीमा/विस्तारित समय-सीमा के भीतर पूरी नहीं होती है, तो संबंधित संगठन को तत्काल अनुदान वापस करना होगा।

छ. इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक प्रस्ताव को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

ज. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में आगे और दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

झ. यदि तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया जाता है तो प्रस्तावों को आईएफडी की सहमति के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाता है और अंतिम सहायता अनुदान जारी किया जाता है। इसके लिए स्पष्टीकरण या दस्तावेज जमा करने, जैसा भी मामला हो, के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ अनेक प्रकार का पत्राचार करने की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निर्बाध निधि अंतरण के लिए पीएफएमएस पोर्टल का अपडेशन सुनिश्चित करना है।

ञ. यदि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया जाता है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को विभाग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित लागत अनुमान प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ट. निधियों की दूसरी किस्त के अनुरोध के मामले में , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निविदा लागत और कार्य प्रगति रिपोर्ट के विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भेजने होंगे। कार्य की लागत एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए प्रारंभिक अनुमानों या निविदा लागत, जो भी कम हो तक सीमित होगी (जब तक कि योजना के तहत मात्रात्मक और वैध व्यय प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, इस स्थिति में उपयोग प्रमाणपत्र, फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण, कार्य प्रगति रिपोर्ट, आदि जैसी वैध प्रमाण पत्रों के आधार पर विचार के लिए बढ़ी हुई लागत की फिर से विभाग द्वारा जांच की जाएगी।

ठ. कुल मिलाकर किसी भी निधि को जारी करने के लिए यह अनिवार्य है कि सहायता अनुदान के लिए अनुरोध करने से पहले पूर्व में जारी की गई निधियों के संबंध में लंबित

उपयोग प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत किए जाएं। **जीआईए के लिए अनुरोध करने से पहले एआईसी के लिए कम से कम 75% यूसी जमा किए जाने चाहिए।**

15. सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत भवनों की रेट्रोफिटिंग हेतु निधियों की पहली और दूसरी किस्त जारी करने से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप –

क) सुगम्य भारत अभियान के निर्मित वातावरण लक्ष्य के तहत, चरण -1 के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उनके भवनों को 2 भागों/किस्तों में सुगम्य बनाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जाती है। अत:, जीआईए जारी करने के लिए विभाग को प्रस्तुत किए जा रहे प्रस्तावों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप निर्धारित किए गए हैं:

ख) <u>जीआईए की पहली किस्त जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:</u>

1. राज्य विभाग का कवर लेटर जिसमें प्रस्तावित भवनों की संख्या और अनुरोध किए गए जीआईए की राशि का उल्लेख किया गया । तालिका 1 के अनुसार संकलित जानकारी पत्र के साथ संलग्न की जाए ।
2. लागत अनुमान (पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता के समकक्ष के रैंक के या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए), इसके साथ निम्नलिखित संलग्न होना चाहिए
   - क. सुगम्यता विशेषताओं के अनुसार माप का विवरण, दरों का विवरण और माप के साथ ड्राइंग्स
   - ख. एसओआर का विवरण
   - ग. शुल्क लागू करने हेतु (सांविधिक दस्तावेज/सरकारी आदेश) जैसे विभागीय शुल्क, हैंडलिंग शुल्क, परिवहन शुल्क, अतिरिक्त कर आदि ।
3. यदि कार्यकारी एजेंसी राज्य पीडब्ल्यूडी नहीं है, तो कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी के समकक्ष या उच्चतर रैंक के अधिकारी वाले हस्ताक्षरकर्ता द्वारा लागत अनुमान का औचित्य दिया जाए
4. जारी की गई पिछली निधियों के लिए यूसी की स्थिति। कार्यकारी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रति के साथ जीएफआर 2017 के फॉर्म 12 के अनुसार सभी यूसी प्रस्तुत किए जाने हैं।

तालिका 1:

क्र. सं.	**भवन का नाम**	**सामान्य विवरण**		***(कार्यकारी एजेंसी का प्रभाग और नाम)*** **के द्वारा निष्पादित किया जा रहा कार्य**	**व्यापक विशिष्टताओं के साथ प्रस्तावित सुगम्य सुविधाएँ**	**जीआईए की राशि जिसके लिए अनुरोध किया गया है**
		एमआईएस विशिष्ट आईडी, स्वामित्व, भवनों की संख्या, उपयोग	**एमआईएस पर अपलोड किए गए डेटा की स्थिति**			
1						
2						
3						

<u>ग) जीआईए की दूसरी किस्त जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:</u>

क) राज्य विभाग का कवर लेटर जिसमें प्रस्तावित भवनों की संख्या और अनुरोध किए गए जीआईए की राशि का उल्लेख किया गया ।

ख) पत्र के साथ संलग्न तालिका 2 के अनुसार संकलित जानकारी के साथ निष्पादन एजेंसी का अनुरोध पत्र ।

ग) जारी की गई पिछली निधियों के लिए यूसी की स्थिति। निष्पादन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बिलों की प्रति के साथ जीएफआर 2017 के फॉर्म 12 के अनुसार सभी यूसी प्रस्तुत किए जाने हैं।

घ) कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय के अनुसार कार्य को पूरा करने की समय-सारणी और योजना का संक्षिप्त विवरण, आवधिक निगरानी, मध्यावधि मूल्यांकन के प्रावधान और विस्तृत प्रभाव अध्ययन आदि और अन्य आवश्यकताएं। यदि आवश्यक हो तो भवनवार उपलब्ध कराया जाए ।

तालिका 2:

क्र. सं.	**भवन का नाम**	**सामान्य विवरण**		**जीआईए का विवरण**						**फिजिकल कार्य की प्रगति (% में)**
				स्वीकृति विवरण			**व्यय विवरण**		**कार्य पूरा करने के लिए मांगी गई राशि**	
		एमआईएस विशिष्ट आईडी, स्वामित्व, निष्पादन एजेंसी	**एमआईएस पर अपलोड किए गए डेटा की स्थिति**	**स्वीकृति आदेश संख्या और जारी करने की तिथि**	**डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा स्वीकृत राशि**	**डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी राशि**	**वास्तविक निविदा लागत** *(करों और शुल्कों सहित)*	**किया गया व्यय** *(राज्य सरकार द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय सहित)*		
1										
2										

3										